भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या - 2285**
सोमवार, 5अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक)

## जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

2285. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः
श्री अरविंद धर्मापुरीः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पूरे देश, विशेषकर महाराष्ट्र में जनजातीय बहुल क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की जनजातीय आबादी के कौशल विकास को सुनिश्चित करने और रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए कदम उठाने की योजना है; और

(घ) आईटीआई केन्द्रों में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् कितने जनजातीय लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआइज) के नेटवर्क के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) को कार्यान्वित कर रहा है। यह जनजातीय समुदाय सहित सभी वर्गों के युवाओं को अल्पकालिक 'कौशल विकास' प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) और जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) जैसी योजनाएं भी चला रहा है।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत, वर्तमान में देश में 15,034 आईटीआइज स्थापित हैं जिनमें से 1,628 आईटीआइज (520 सरकारी आईटीआइज और 1108 निजी आईटीआइज) जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्थापित हैं। महाराष्ट्र राज्य में, वर्तमान में राज्य में 1042 आईटीआइज संचालन में हैं जिनमें से 123 आईटीआइज (62 सरकारी आईटीआइज और 61 निजी आईटीआइज) महाराष्ट्र राज्य के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्थापित हैं।

आईटीआइज राज्य सरकार के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण के अधीन हैं। हालांकि, एमएसडीई समय-समय पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जनजातीय बहुल क्षेत्रों सहित देश भर में आईटीआइज की स्थापना में सहायता करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजनाएं भी चलाता है।

हाल तक, एमएसडीईदेश में आईटीआइज की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए "एलडब्ल्यूई से प्रभावित 48 जिलों में कौशल विकास (एलडब्ल्यूई योजना)" और "पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल विकास अवसंरचना को बढ़ाना (ईएसडीआई)," नामक दो योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा था।

एलडब्ल्यूई योजना के तहत, देश भर में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में 41 आईटीआइज स्थापित किए गए हैं, 41 आईटीआइज में से 1 आईटीआई महाराष्ट्र राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्र में है। ईएसडीआई योजना के तहत, 8 पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय जिलों में 23 आईटीआइज स्थापित किए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में 15-45 वर्ष की आयु वर्ग के गैर-साक्षर, नव-साक्षर, प्राथमिक स्तर की शिक्षा वाले व्यक्तियों और 12 वीं कक्षा तक स्कूल छोड़ने वालों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) एमएसडीई के तहत एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित एक योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी कम आय वाले क्षेत्रों की महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक प्राथमिकता वाले समूह हैं।

वर्तमान में, देश भर में 290 जेएसएस कार्यरत हैं जिनमें से 69 देश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्थापित हैं। महाराष्ट्र राज्य में, वर्तमान में, 21 कार्यात्मक जेएसएस केंद्र हैं जिनमें से 4 महाराष्ट्र राज्य के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्थापित हैं।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) 2015 से भारतीय युवाओं को बेहतर आजीविका के लिए उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य के साथ अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को लागू कर रहा है। पीएमकेवीवाई के तहत, अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और पूर्व सीखने की मान्यता (आरपीएल) के द्वारा अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग किया गया है।

पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, 30.06.2024 तक देश भर में 12,257 प्रशिक्षण केंद्रों को सूचीबद्ध किया गया है जिनमें से 1,445 देश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में हैं। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, 30.06.2024 तक महाराष्ट्र राज्य में 585 प्रशिक्षण केंद्रों को सूचीबद्ध किया गया है जिनमें से 74 महाराष्ट्र राज्य के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में हैं।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों में, अर्थात 2019-20 से 2023-24 तक, अनुसूचित जनजाति वर्ग के क्रमशः 5,28,866 और 3,40,089 अभ्यर्थियों को आईटीआइज और जेएसएस केंद्रों में प्रशिक्षित किया गया है। पीएमकेवीवाई के तहत आरंभ से अर्थात वर्ष 2015 से अनुसूचित जनजाति वर्ग के 7,30,078 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

देश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में आईटीआइज, पीएमकेवीवाई केंद्रों और जेएसएस केंद्रों की राज्यवार संख्या की सूची **अनुबंध-1**में संलग्न है।

उपर्युक्त योजनाओं के अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय आबादी के कौशल विकास और आजीविका संवर्धन के लिए कई कदम उठाए हैः

i. 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन' (पीएमजेवीएम) योजना: जनजातीय कार्य मंत्रालय की इस योजना के माध्यम से, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीकेज) की स्थापना के लिए निधिप्रदान कराता है, जो मुख्य रूप से जनजातीय स्वयं सहायता समूहों के समूह हैं जो लघु वनोपज (एमएफपीज)/गैर-एमएफपीज के मूल्य संवर्धन और विपणन के माध्यम से लाभान्वित होते हैं। वीडीवीके केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को अधिकतम 15.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इन वीडीवीकेज की स्थापना के लिए वीडीवीके सदस्यों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण एक अभिन्न घटक है।

ii. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन): जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) की एक योजना प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) का लक्ष्य 1 संघ राज्य क्षेत्र सहित 18 राज्यों में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजीज) का लक्षित विकास करना है। यह योजना 200 जिलों के लगभग 22,000 गांवों में 9 प्रमुख मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण कार्यनीतिक पर ध्यान केंद्रित करती है। मिशन में प्रमुख कार्यनीतिकों में से एक इन समुदायों के उपयुक्त कौशल के अनुसार पीवीटीजी आवासों, बहुउद्देशीय केंद्रों, आदिवासी छात्रावासों, प्रशिक्षण/कौशल, वनधन विकास केंद्र में उद्यमशीलता विकास में कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कराना है।

(घ) आईटीआइज में अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद अभ्यर्थियों के रोजगार के बारे में कोई केंद्रीकृत डेटा बेस नहीं है। हालांकि, 2018 में प्रकाशित कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से आईटीआई पासआउट के एक ट्रेसर अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 63.5% आईटीआई स्नातक (जनजातीय आबादी सहित) कार्यरत हैं जिनमें से 6.7% स्व-रोजगार में हैं।

*अनुबंध-1*

**लोक सभा के दिनांक 05.08.2024 के आतारंकित प्रश्न संख्या 2285 के भाग (क) से (ग) उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

देश में जनजातीय बहुल क्षेत्रों में आईटीआइज, पीएमकेवीवाई केंद्रों तथा जेएसएस केंद्रों की राज्य-वार संख्या

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आईटीआइज | | पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण केंद्र | जेएसएस केंद्र |
|---|---|---|---|---|---|
| | | सरकारी आईटीआइज | निजी आईटीआइज | | |
| 1 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 4 | 29 | 40 | 1 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 7 | 0 | 60 | 0 |
| 4 | असम | 6 | 1 | 167 | 0 |
| 5 | बिहार | 23 | 247 | 50 | 6 |
| 6 | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 78 | 35 | 90 | 11 |
| 8 | दिल्ली | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | गुजरात | 67 | 60 | 61 | 2 |
| 11 | हरियाणा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 13 | 9 | 14 | 2 |
| 13 | जम्मू और कश्मीर | 7 | 0 | 25 | 0 |
| 14 | झारखंड | 67 | 195 | 157 | 13 |
| 15 | कर्नाटक | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | केरल | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | लद्दाख | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | लक्षद्वीप | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 74 | 194 | 251 | 7 |
| **20** | **महाराष्ट्र** | **62** | **61** | **74** | **4** |
| 21 | मणिपुर | 5 | 0 | 17 | 2 |
| 22 | मेघालय | 6 | 1 | 65 | 1 |
| 23 | मिजोरम | 3 | 0 | 46 | 1 |
| 24 | नागालैंड | 9 | 0 | 65 | 2 |
| 25 | ओडिशा | 39 | 123 | 88 | 13 |
| 26 | पुदुचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | पंजाब | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | राजस्थान | 21 | 143 | 79 | 0 |
| 29 | सिक्किम | 4 | 0 | 30 | 0 |
| 30 | तमिलनाडु | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | तेलंगाना | 1 | 8 | 4 | 1 |
| 32 | दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 33 | त्रिपुरा | 13 | 0 | 50 | 1 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | उत्तराखंड | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 7 | 2 | 8 | 0 |
| **कुल** | | **520** | **1,108** | **1,445** | **69** |

*****